तीये की बैठक



हमारे पूजनीय पिताजी **गोपाललाल जी कुमावत** (Rtd. JVVNL) का स्वर्गवास 27/10/2026 को हो गया है।

शोकाकुल- श्रीमती कमला (धर्मपत्नी), जगदीश- पुष्पा, प्रकाश- विनीता, गणेश- मीरा (पुत्र-पुत्रवधू), तारा- भागचंदजी, स्व. बीना- प्रमोदजी, बिमला- स्व. शैलेंद्रजी, मंजू- रमेशजी, (पुत्री-दामाद), संजय, अमित, गौरव, चित्रांश, भावेश (पौत्र), मोना- ऋषिराजजी, भाविका (पौत्री-दामाद) एवं समस्त राजोरीया परिवार



अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय **श्री सीताराम सीमावत** पुत्र स्व.श्री प्रभात सीमावत का स्वर्गवास 26.10.2026 को हो गया है।

शोकाकुल- बसंती देवी (धर्मपत्नी), जगदीश, गजानंद, शंकर (चाचा), शंकर, कालू, प्रकाश, गुड्डु (भ्राता), दयाशंकर, हितेश, नितेश, गोलू (पुत्र), पूजा- अजयजी (पुत्री-दामाद), अर्श (दोहिता) एवं समस्त सीमावत परिवार (भानपुर कलाँ वाले)

खोया पाया

I, Mani Bala Tanwar C/o Ramesh Lal Tanwar have Lost Property documents missed of address 38/250 Rajat Path Mansarovar 302020 Conveyance deed Allottee, Perpetual lease, No-dues certificate (Letter no.4862, Date- 29/03/1997) Office letter (Sr no. 4633, Date 09/12/1991) Anywhere.if Found Anyone Pl. Contact-8769769765

आम सूचना सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मे रामेश्वर प्रसाद वर्मा के नाम प्लाट नं. 36 दुकान न. 03 केसर कुंज निमेड़ा जयपुर में है। जो प्लॉट 100 दुकान 56 वर्गगज का है जिसके मूल दस्तावेज हम से खो गये है जिसकी FIR LR No: 3321657/2026 Date: 22/10/2026 भी करवा दी गई। अगर किसी व्यक्ति को मिले तो मुझे सूचित करें अन्यथा मेरे द्वारा जारी करने वाली सोसाइटी राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति को डुप्लीकेट पट्टा जारी करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया है सूचित रहे अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे या सोसाइटी को 7 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करे।
रामेश्वर प्रसाद वर्मा मो. 8505032616

आम सूचना सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माताजी लाड़ा देवी धर्मपत्नी स्व. श्री पप्पूलाल के नाम प्लाट नं. 35, दुकान न. 04 केसर कुंज निमेड़ा जयपुर में है। जो प्लॉट 100 दुकान 56 वर्गगज का है जिसके मूल दस्तावेज हम से खो गये है जिसकी FIR LR No: 3321645/2026 Date: 22/10/2026 भी करवा दी गई। अगर किसी व्यक्ति को मिले तो मुझे सूचित करें अन्यथा मेरे द्वारा जारी करने वाली सोसाइटी राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति को डुप्लीकेट पट्टा जारी करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया है सूचित रहे अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे या सोसाइटी को 7 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें।
विजय वर्मा पुत्र लाडा देवी मो. 8505032616

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक :-4512 दिनांक :-28/10/2006

आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना सेक्टर-28 (एरिया 5000.00 वर्गमीटर,) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन गोल्डन इंडिया फाउण्डेशन को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 3888 दिनांक 21.11.2007 को स्वास्थ्य वर्धन केन्द्र के निर्माण हेतु जारी किया गया। जिसका भौतिक कब्जा गोल्डन इंडिया फाउण्डेशन द्वारा अधिकृत श्री मनीष आंचलिया पुत्र श्री एन.सी. आंचलिया को दिनांक 29.05.2008 को दिया गया। जिसका अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक क्र०ल010/ वसूली / सांगानेर/अदेय/1899/ 627 दिनांक 20.04.2010 को जारी किया गया। जिसके पंजीयन प्रपत्र गोल्डन इंडिया फाउण्डेशन द्वारा अधिकृत सचिव श्री मनीष आंचलिया पुत्र श्री एन.सी. आंचलिया को जारी कर पंजीयन प्रपत्र उप पंजीयक मुद्रांक जयपुर-द्वितीय में दिनांक 22.09.2010 को पंजीकृत करवाये गये। मण्डल द्वारा लीज मुक्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 3143/2656 दिनांक 11.12.2012 को जारी किया गया।
श्री मनीष आंचलिया के द्वारा गोल्डन इंडिया फाउण्डेशन से गोल्डन इंडिया संस्थान पंजीयन क्रमांक 637/1998-99 दिनांक 02.02.1999 के आधार पर संशोधन करने हेतु निवेदन किया है। निदेशक (विधि) मुख्यालय जयपुर द्वारा नाम संशोधन हेतु समाचार पत्र में विज्ञिप्त प्रकाशन की राय दी गई है।
अतः गोल्डन इंडिया फाउण्डेशन से गोल्डन इंडिया संस्थान नाम संशोधन किये जाने पर किसी व्यक्ति/विशेष को आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल के द्वारा उपरोक्त संस्था का नाम संशोधन कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा मण्डल, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या सुमन पत्नी स्व श्री कुलजीत सिंह, आयु 63 वर्ष, निवासी प्लाट नंबर 353, द्वितीय मंजिल, देवी नगर, श्याम नगर, जयपुर, राज0 का पुत्र कुलप्रीत सिंह एवं रशमीत कौर ने मिलकर मेरी अभिभाष्या को गत काफी समय प्रताड़ित कर रखा है एवं कहने में नहीं है यहा तक की वह गैर ज़िम्मेवाराना जीवन यापन कर रहे है जिस कारण मेरी अभिभाष्या ने कुलप्रीत सिंह एवं रशमीत कौर से अपने समस्त पारिवारिक संबंध समाप्त कर उन्हे अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है कोई भी व्यक्ति कुलप्रीत सिंह एवं रशमीत कौर से किसी भी प्रकार का संव्यवहार या लेन देन करता है तो उन समस्त बाबत वह स्वयं ही जिम्मेवार होगा।
जयपुर **(अनिल कुमार महरिया) एडवोकेट**
दिनांक **मोबाईल नंबर 9351390532**

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर नगर जोन) नगर निगम जयपुर
(अम्बाबाडी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर)
क्रमांक:- एफ.55()/वि. जोन/न.नि.ज./2026/2385

सार्वजनिक सूचना दिनांक: 28/10/2026

भूखण्ड सं. 50, स्कीम नं. 9 आर. के. नगर, झोटवाड़ा, जयपुर का ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा श्रीमती गिनिया देवी केजडीवाल पत्नी श्री दीन दयाल केजडीवाल के पक्ष में क्षेत्रफल 350.00 वर्गगज़ भूमि का आवंटन पत्र मय साईट प्लान जारी किया गया था। ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा उक्त भूखण्ड को दो बराबर भागों में विभाजित कर भू. सं. 50 बी, क्षेत्र. 175.00 वर्गगज़ कॉर्नर भाग श्री कालूराम पुत्र श्री मांगीलाल के नाम हस्तांतरित कर दिया गया। श्री कालूराम पुत्र श्री मांगीलाल ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.10.2024 को उक्त भूखण्ड श्री इमरान अहमद पुत्र श्री इकरामुद्दीन को विक्रय कर दिया गया है। श्री इमरान अहमद पुत्र श्री इकरामुद्दीन ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2026 को भूखण्ड संख्या 50 बी (पश्चिमी भाग) क्षेत्र. 135.00 वर्गगज़ श्री मोहम्मद इलियास पुत्र श्री मो. याकूब एवं श्री मोहसिन मोहम्मद पुत्र श्री फज़ल मोहम्मद को विक्रय कर दिया गया। श्री मोहम्मद इलियास पुत्र श्री मो. याकूब एवं श्री मोहसिन मोहम्मद पुत्र श्री फज़ल मोहम्मद द्वारा भूखण्ड सं. 50 बी (पश्चिमी भाग), स्कीम नं. 9 आर. के. नगर, झोटवाड़ा, जयपुर (ओमशिवगृहनिर्माण सहकारीसमिति गृह निर्माण सहकारी समिति लि.) क्षेत्रफल 135.00 वर्गगज़ का पट्टा विलेख चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के पट्टा विलेख बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार पट्टा विलेख की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त विद्याधर नगर जोन नगर निगम जयपुर

नम्बर मिलाइए 8890333139



सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

शाहपुरा में महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा, पूजा की

शाहपुरा। शहर में गुरुवार को महिलाओं का सुहाग का प्रतीक करवा चौथ का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गार्डन वाली गली में महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा और सामूहिक रूप से करवा चौथ की कहानी सुनी। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना की तथा करवा माता से

- **करवा माता की कहानी सुनी**
- **गार्डन वाली गली में महिलाओं ने विधि-विधान से की पूजा-अर्चना, पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना की**



शाहपुरा में महिलाओं के सुहाग का प्रतीक करवा चौथ का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया।

अपने पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। पर्व को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने एक साथ बैठकर धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया और करवा चौथ की कथा सुनकर व्रत की रस्में पूरी की। करवा चौथ का पर्व पति-पत्नी के प्रेम, विश्वास और आपसी समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर महिलाओं ने पूरे श्रद्धाभाव से व्रत रखकर परिवार की मंगलकामना की। हलवाइयों की दुकानों पर भी शक्कर से बने हुए करवे की जमकर खरीदारी हुई। इसके अलावा बाजारों में भी महिलाओं की खरीदारी परवान पर रही। सुहागिन महिलाएं दिनभर सुहाग से संबंधित सामग्री खरीदने में लगी रही। इसके अलावा सुहागिनों के पति भी अपनी पत्नियों को उचित उपहार देने के लिए भी खरीदारी की। कई महिलाओं ने करवा चौथ के व्रत का उद्यापन किया। सुहागिन महिलाओं व पहली बार करवा चौथ मानने वाली महिलाओं में भी इस पर्व को लेकर काफी उत्साह रहा। महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर शिव-पार्वती, गणेश एवं करवा माता की पूजा की।

संजय शर्मा की अनुशंसा पर अलवर शहर को मिलीं 2500 स्ट्रीट लाइट

अलवर। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा की अनुशंसा पर अलवर शहर की प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2500 स्ट्रीट लाइट स्वीकृत की गई हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड को नगर निगम अलवर के लिए लाइटों की आपूर्ति करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, नगर निगम अलवर को कुल 2500 स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें 45 वॉट की 2000 और 60 वॉट की 500 लाइटें शामिल हैं। संबंधित एजेंसी को निर्धारित संख्या के अनुसार लाइटों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्ट्रीट लाइट उपलब्ध होने से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी बढ़ाने के साथ ही रात्रि के समय आमजन के आवागमन को सुविधाजनक बनाने में सहायता मिलेगी। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर शहर में आधारभूत सुविधाओं के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। उनकी अनुशंसा पर स्वीकृत इन 2500 स्ट्रीट लाइट से शहर की प्रकाश व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

भरतपुर में चीनी से बने करवा, श्रृंगार सामान खरीददारों की भीड़ रही

भरतपुर (निसं)। माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन अपना घर संस्था में इस बार का करवा चौथ महोत्सव बड़े ही धूमधाम और भावुक माहौल में मनाया गया। आश्रम में रह रही 150 से अधिक प्रभुजन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखकर पूजन किया। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन अपना घर आश्रम में इस व्रत की तस्वीर कुछ अलग ही थी। यहाँ व्रत रखने वाली वे महिलाएं हैं, जिन्हें उनके पतियों ने छोड दिया है, जो बीमार होने पर आश्रम में आ गईं, या जिनके पति को पता होने के बावजूद लेने नहीं आ रहे। कई महिलाओं के पति दूसरी शादी भी कर चुके हैं, इसके बावजूद आश्रम में रहने वाली ये महिलाएं आज भी पूरी श्रद्धा के साथ उनके लिए व्रत रख रही हैं, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो उन्हें लेने जरूर आएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी नविता दीक्षित ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि वह भोपाल में 4 साल तक कंप्यूटर टीचर रही हैं और अच्छी पढ़ी-लिखी हैं। टीचर की नौकरी छोडने के बाद ससुराल में पहले तो अच्छे से रखा, लेकिन बाद में ताने मारना शुरू कर दिया। उन पर एटीट्ययूड में रहने का आरोप लगाया गया और जॉब करने के लिए कहा गया। जॉब ढूंढते-ढूंढते वह अपना घर आश्रम पहुंच गईं। उन्हें आश्रम में रहते हुए 9 साल हो गए हैं और इन 9 सालों में पति से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, ससुराल वाले कोई पता भी नहीं बता रहे।



भरतपुर में महिलाओं ने पति की दीर्घायु सुखद जीवन के लिए निर्जला व्रत रहकर करवा चौथ पर्व परंपरागत तरीकें से मनाया।

टीबी मुक्त भारत की दिलाई शपथ

टोंक। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. हिमांशु मित्तल द्वारा स्काउट एवं गाइड के कैडेट्स को टीबी (क्षय रोग) की रोकथाम, लक्षण एवं उपचार को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. हिमांशु मित्तल ने कहा कि टीबी एक संक्रामक लेकिन पूर्णतः साध्य बीमारी है। यदि किसी व्यक्ति को दो सप्ताह या उससे अधिक समय से खांसी, हल्का बुखार, वजन घटना या बलगम में खून आने की शिकायत हो, तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच करवानी चाहिए।

चिकित्सा शिविर

चाकसू। राजस्थान महाविद्यालय चाकसू में नशा मुक्त भारत अभियान के एवं महिला नीति के सयुंक्त तत्वाधान में चिकित्सा शिविर लगाया गया। राजकीय चिकित्सालय चाकसू के डॉ. ऋतुराज मीणा द्वारा स्वस्थ जीवन शैली मोबाइल के दुस्प्रभाव पर विशद व्याख्यान दिया गया।

अलवर की 185 ग्राम पंचायतों में आज मतदान

अलवर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के द्वितीय चरण के तहत अलवर जिले की पांच पंचायत समितियों की 185 ग्राम पंचायतों में 30 अक्टूबर को सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। उप सरपंच का चुनाव 31 अक्टूबर को कराया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि द्वितीय चरण में 185 सरपंच और 1767 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस कार्मिकों को भी तैनात किया गया है।उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में नियोजित अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव को प्रभावित करने से संबंधित किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है।

द्वितीय चरण में उमरैण पंचायत समिति की 38 ग्राम पंचायतों में 38 सरपंच और 368 वार्ड पंच, मालाखेड़ा की 39 ग्राम पंचायतों में 39 सरपंच और 387 वार्ड पंच, लक्ष्मणगढ़ की 30 ग्राम पंचायतों में 30 सरपंच और 288 वार्ड पंच, राजगढ़ की 41 ग्राम पंचायतों में 41 सरपंच और 393 वार्ड पंच तथा थानागाजी की 37 ग्राम पंचायतों में 37 सरपंच और 331 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, द्वितीय चरण में कुल 5,77,518 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें उमरैण पंचायत समिति के 1,34,118, मालाखेड़ा के 1,26,211, लक्ष्मणगढ़ के 89,702, राजगढ़ के 1,25,086 और थानागाजी के 1,02,401 मतदाता शामिल हैं। मतदान के बाद ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।

अभियान में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई

टोंक। त्योहारी सीजन में आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सघन निरीक्षण कर खाद्य सामग्री के नमूने लिये गये है।

इस अभियान के तहत पचाला स्थित कमलेश्वर मिष्ठान भंडार से मावा का नमूना लिया गया एवं शेष बचे लगभग 100 किलो मावा बदबूदार खराब स्थिति में पाए जाने पर मौके पर नष्ट किया गया।

इसी प्रकार अन्य टीम ने पचाला स्थित किराना स्टोर से सूजी श्री पावन का नमूना एवं घनश्याम किराना स्टोर से धनिया पाउडर लहर ब्रांड का नमूना लिया गया है। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे
पत्र सं-WB-74-W-O/Works/NIT/X
दिनांक: 27.10.2026
ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मंडल रेल प्रबन्धक, इंजीनियरिंग, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यो के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है- **ई-निविदा सूचना सं0 174 of 2026-27, कार्य का नाम व स्थानः** Provision of Boundary wall to prevent Encroachment & trespassing in the section of ADEN-Line-II/JU Section in the jurisdiction of Sr. DEN/Central of Jodhpur Division. **अनुमानित लागतः** ₹ 13925075.06, **बयाने की राशिः** ₹ 278500.00; **ई-निविदा सूचना सं0 175 of 2026-27, कार्य का नाम व स्थानः** Upgradation/Augmentation infrastructure, enhancement of Satellite Track Machine depot Basni Jodhpur including other staff amenities. **अनुमानित लागतः** ₹ 21865148.21; **बयाने की राशिः** ₹ 437300.00; निविदा सूचना संख्या **174 of 2026-27** निविदा प्रस्तुत करने की तिथि **17.11.2026** एवं **175 of 2026-27** निविदा प्रस्तुत करने की तिथि **26.11.2026** को **15:00 बजे** तक है। वेबसाईट का विवरण जहाँ पर ई-निविदा देखी व भरी जा सकती है - **www.ireps.gov.in** **1558-PH/26**

हमें /NWRailways /NWRailways_ पर फॉलो करें

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. CMNC 4/26
D.No 481/ 17-10-2026
विषय : उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र
प्रार्थीया- नाम गहका @ गीता देवी पत्नी स्व. खैरूलाल जाति- मीणा निवासी- चावण्डिया माल की ढाणी, तहसील आंधी जिला जयपुर पिन 303301 मृतक- खैरूलाल मीणा की सम्पत्ति के विषय मे

पेशी दिनांक ....

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थीया/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम खैरू लाल मीणा पुत्र बद्रीनारायण मीणा जाति- मीणा, निवासी- चावण्डिया माल की ढाणी का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान किया जाये।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26.11.2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। आज दिनांक 17.10.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
रीडर
मोहर न्यायालय **अपर जिला एवं सैशन न्यायालय बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम**

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 नियम 1 और 5, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908)
वाद पत्र क्रमांक / 2026 82/2026
न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी।
कैलाश चन्द बनाम अर्जुनराम वगै.
प्रेषित बनाम - अर्जुनराम पुत्र बोदूराम, ओमप्रकाश, घनश्याम, पुत्रान अन्नाराम, गणेश पुत्र नारायण, राधा पत्नी नारायण, मोहनराम, रामेश्वर, श्योकरण, पुत्रान पूसाराम, रामेश्वर, सोहनलाल पुत्रान धन्नाराम सभी जाति मेघवंशी निवासीयान ग्राम हनुमानपुरा-सरगोठ तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना कुचामन राज., प्रकाश चन्द मोहनपुरिया पुत्र श्री रूड़ाराम जाति रेगर कुचमान सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज)
वादी ने आपके विरूद्ध 53, व 188 R.T. Act का एक वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो इस न्यायालय में पंजीबद्ध कर लिया गया है और इस वाद में किये गए दावे का उत्तर देने के लिये आपकी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04/11/2026 की पेशी नियत की गई है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बतायी गयी तारिख पेशी पर न्यायालय में उप-संजात नहीं होते हैं तो वाद की सुनवाई व उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर / मेरे निर्देशानुसार व न्यायालय की मुहर से आज दिनांक 23/10/2026 को जारी किया गया।
- आदेशानुसार
रीडर, उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन न्यायाधीश

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 765/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र श्री भैरू लाल शर्मा निवासी किशनपुरा उर्फ खातीपूरा, महापुरा, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत मंदिर रघुनाथ जी ट्रस्ट कार्यालय पता-ठाम किशनपुरा उर्फ खातिपुरा, कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 14.10.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 21.12.2026
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर**

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 761/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि आशुतोष झालानी पुत्र श्री गिरीश झालानी, निवासी एम-5 अक्षरा जीवन सिटी फेज-1 कादेडा चाकसू जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत माता बंगलामुखी शक्तिपीठ समिति, एम-5 अक्षरा जीवन सिटी फेज-1, कादेड़ा चाकसू, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 13.10.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 21.12.2026
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर**

पावरग्रिड POWERGRID
सूचना
1. उपर्युक्त याचिकाकर्ता ने याचिका-1: 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (चौथा) तथा हरियाणा स्थित 400/220 केवी हिसार (पीजी) उपकेंद्र में संबंधित बे सहित, "हरियाणा में 400/220 केवी हिसार (पीजी) उपकेंद्र में 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (चौथा) के माध्यम से परिवर्तन क्षमता का संवर्धन" कार्य के लिए 2024-29 टैरिफ अवधि हेतु पारेषण टैरिफ के निर्धारण के संबंध में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष याचिका दायर की है।
2. पारेषण प्रणाली के लाभार्थी निम्नलिखित हैं (क) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ख) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ग) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (घ) पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ङ) हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र (च) जम्मू एवं कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (छ) उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ज) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (झ) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (ञ) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (ट) चंडीगढ़ विद्युत विभाग (ठ) उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ड) उत्तर मध्य रेलवे (ढ) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (ण) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (त) सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (थ) एचवीपीएनएल

विवरण	
वाणिज्यिक प्रचालन की निर्धारित तिथि	12.03.2026
वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तिथि	26.07.2026 (संपत्ति 1)
अनुमानित पूर्णता लागत (रुपये लाख में)	63.21 करोड़

3. 2024-29 टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ का विवरणः
(रु. लाख में)

संपत्ति	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
संपत्ति-1	-	-	639.89	1046.32	1082.24

4. टैरिफ निर्धारण हेतु दायर याचिका की एक प्रति वेबसाइट **www.powergrid.in** पर उपलब्ध कराई गई है।
5. याचिका में निहित टैरिफ निर्धारण के प्रस्तावों के संबंध में कोई भी व्यक्ति, जिसमें लाभार्थी भी शामिल हैं, यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो, तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को भी भेजी जानी चाहिए।

स्थानः गुरूग्राम **वरिष्ठ महाप्रबंधक**
दिनांकः 23.10.2026 **(वाणिज्यिक-सीसी)**

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
कॉर्पोरेट कार्यालयः सौदामिनी, प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गरूग्राम, हरियाणा - 122001
पंजीकृत कार्यालयः बी-9, कुतब इन्स्टिट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110 016
एक महारत्न पीएसयू
PG/CC/Notice-66/Advt-86/2026-27/Expression

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगरपरिषद् कुचामन सिटी
Email : eo.mcorp.kuchaman@rajasthan.gov.in फोन नं. 01586-220022
munibkcity@gmail.com 01586-221526

क्रमांक :- न.प.कु./2026-27/4909 दिनांक :- 28.10.2026

लोक सूचना

निम्न लिखित आवेदको द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
1.	श्रीमती कमला देवी पत्नी चेना राम जाति जाट, श्रीमती गंगा देवी पत्नी भोलू राम जाति जाट	तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन	कुचामन सिटी	4300/2630 4310/2630	0.2556 Hq. 0.1618 Hq.
2.	श्री भंवर लाल कुमावत पुत्र रतनलाल जाति कुमावत	तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन	पनवाड़ी	683/158	0.4664 Hq.
3.	श्री दिव्यक पुत्र दिनेश रणवां जाति जाट, श्री मनोज कुमार पुत्र जोरा राम जाति जाट, श्री महेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र भोपाल राम जाति जाट	तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन	पनवाड़ी	684/158	1.1136 Hq.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.10.2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
आयुक्त नगरपरिषद् कुचामन सिटी